न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34 / 2019 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2019 / 00047

उनवान

1– वक्फ कमेठी सांगोद जर्ये सदर मिर्जा साबिर बेग वल्द मरहूम आमिन बेंग मुसलमान निवासी सांगोद।

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– स्व0मोहम्मद ईस्माइल उर्फ लालू पुत्र सुभान शाह

2– मोहम्मद हुसैन पुत्र इस्माइल उर्फ लालू जाति फकीर निवासीगण अन्ता जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क.1)

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार सांगोद आदेश दिनांक 21.6.2019 अन्तर्गत धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय_ दिनांकः– 21/11/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सांगोद के राजस्व क्षैत्र में माफी मस्जिद के नाम से उक्त वर्णित 5 किता की कुल 4.30 है0 भूमि स्थित है, जो राज्य सरकार देवस्थन वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 19.12.1992 एवं निर्णय दिनांक 26.8.2003 से सांगोद की वक्फ कमेठी प्रोपर्टी क्रमांक 15 पर जर्ये नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 29.07.2004 से वक्फ प्रोपर्टी माफी मस्जिद सांगोद दर्ज की हुई है। उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा में दायर की हुई अपील क्रमांक 103 / 2004 मो0 ईस्माई व मोहम्मद हुसैन बनाम मस्जिद पीलू का तकिया सांगोद भी दिनांक 5.3.2005 को खारिज की जा चुकी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

है। उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 30,53 व 66 रकबा 30 बीधा वाके सांगोद को राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 20.4.2005 से वक्फ समिति घोषित किया हुआ है। उक्त भूमि के बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में दायर वाद भी खारिज हो चुका है। अप्रार्थीगणवाद की अपील भी खारिज हो चुकी है। विवादित आराजी के संबध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन सिविल वाद भी खारिज हो चुका है। वक्फ सम्पति के संबध में वक्त अधिनियम 1995 के प्रावधानो के मुताबिक समस्त प्रकार के अधिकार वक्फ अधिकारण जयपुर को ही प्रदत्त किये हुए है तथा वक्फ अभिरकरण जयपुर द्वारा दिनांक 20.4.2005 से राजस्थान सरकार व तहसीलदार सांगोद के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की हुई है कि वे मात्र राजस्व रेकार्ड के आधार पर उक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण व आवंटन न करें न किसी व्यक्ति को कब्जा करावे तथा मस्जिद के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त बाधा न डालें।

रेस्पोडेन्ट कम 3 तहसीलदार सांगोद द्वारा उक्त संबध मे कोई Speaking Order प्रथक से पारित न कर सीधे ही रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 के आवेदन पर ही पटवारी हलका को आदेश जारी कर जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम बतौर पुजारी/खदिमदार दर्ज करने का अपीलांट को दिनांक 22.7.2019 को ज्ञान होते ही प्रार्थी अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 3 तहसीलदार सांगोद द्वारा वक्फ सम्पति सांगोद कृषि भूमि किता 5 रकबा 4.30 है0 वाके सांगोद के संबध में जारी प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.6.2019 को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में तदनुसार लगाया हुआ अप्रार्थीगण 1 व 2 का नाम बतोर पूजारी/खादिमदार भी हटाये जाने की आज्ञा पारित फरमाई जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट नं.1 मोहम्मद इस्माइल उर्फ लालू पुत्र सुभानशाह फकीर निवासी अन्ता की मृत्यु हो गई है तथा उसका वारिस पुत्र मोहम्मद हुसेन उपरोक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 2 बनया हुआ है। अतः मृतक रेस्पोडेन्ट कम 1 नाम हटाया जाकर शीर्षक अपील में नोट लगाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र रेपोडेन्ट कम 1 की मृत्यु होना बताकर पत्रावली में पूर्व से मोजूद पक्षकार रेस्पोडेन्ट कम 2 होना बताकर पेश किया है किन्तु वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 के रेस्पोडेन्ट कम 2 के अलावा अन्य कायम मुकामान भी मौजूद है जिनका विवरण निम्न है।

1/1– मोहम्मद रफीक पुत्र

1/2 – रूकसाना पुत्री

अति. जिला कलक्टर
कोटा

1/3– सुलताना पुत्री
1/4– कनीजा बेगम बेवा

यह है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अन्य कायम मुकामान होने से रेस्पोडेन्ट के स्थान पर उन्हे भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किन्तु वकील अपीलांट द्वारा जानबूझ कर कायममुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम डिलीट किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके कारण रेस्पो0क्रम 1 के कायम मुकामान ना बनाये अतः प्रस्तुत अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात् वक्फ बोर्ड से संबधित है वक्फ अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान मुताबिक केवल रजिस्टर्ड वक्फ कमेठी की प्रार्थना/आवेदन वक्फ बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा ही खादिमदार के स्थान पर अन्य खादिमदार का नाम दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उक्त विवादित आराजीयात् में प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट का नाम जोडा जाना या हटाया जाना नही होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम डिलीट किये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 21.8.2019 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा दोराने बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नकल जमाबंदी ग्राम सांगोद सम्वत् 2076–2079 के मुताबिक सांगोद की खसरा नम्बर 110 की 0.19 है0 खसरा नं. 25 रकबा 3.06 है0 ख.न. 62 रकबा 0.30 है0 खसरा न0 80 की 0.63 है0 व ख0नं081 की 012. है0 कुल किता 5 की 4.30 है0 भूमि माफी मस्जिद सांगोद हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज की जा चुकी है तथा उक्त भूमि के संबध में वक्फ बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा ही कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है। अतः नकल जमाबंदी अनुसार वाद ग्रस्त भूमि ग्राम सांगोद माफी मस्जिद सांगोद के आधार पर उपरोक्त अपील निर्णित किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे। वकील अपीलांट द्वारा फर्द के साथ दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तह0 सांगोद पेश की गई। वकील रेस्पोडेन्ट बहस हेतु उपस्थित नही हुए।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वक्फ सम्पत्ति है जिसका रखरखाव व अन्य सभी व्यवस्थाए राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स जयपुर द्वारा कमेठी के माध्यम से करवाई जाती है। वकील अपीलांट द्वारा बहस में भी कथन

अति. जिला कलक्टर
कोटा

किया है व जमाबंदी की प्रति भी पेश करते हुए विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तह0 सांगोद अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 110, की 0.19 है0,ख.न. 25 की 3.06 है0 ख.न. 62 की 0.300 है0 ख.न. 80 रकबा 0.6300 ख.न. 81 की 0.1200 है0 कुल किता 05 की 4.30 है0 भूमि माफी मस्जिद सांगोद में दर्ज रेकार्ड है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार तहसीलदार सांगोद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित आराजीयात् के संबध में संक्षम स्तर से आदेश न हो तब तक उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में माफी मस्जिद सांगोद के नाम दर्ज रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा